



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 240 अटल नगर दिनांक 22/07/2025

—:आदेश:-

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-जीवविज्ञान

स.क्र.	वरि.क्र.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	1	श्रीमती मीना मोहन्ति	मा.शा.अ.जा. आदर्श कन्या आश्रम देवरीखुर्द	बिलासपुर
2	234	श्री कृष्ण कन्हैया नायक	प्रा.शा. नराईटिकरा	रायगढ़

शर्त:-

- पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शास्ति की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh, एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 द्वारा श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।
- जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर हो चुकी है और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्हें व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। ऐसे में उन्हें पदस्थापना हेतु न कार्य मुक्त करें और न ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की वरिष्ठता पदोन्नति आदेश दिनांक से मान्य की जावेगी।



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 242 अटल नगर दिनांक 22/07/2025

—::आदेश::—

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-राजनीति शास्त्र

स.क्र.	वरि.क्र.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	85	श्रीमती पुष्पा कुजूर	पूर्व मा.शा. कन्या पोगरो	जशपुर
2	90	श्री भोजराम टण्डन	अदिवासी कन्या आश्रम शाला कसडोल	ब.बा.-भाटा.
3	150	श्री सूर्यकांत देवांगन	मा.शा. माहुद	कांकेर
4	155	श्रीमती कंचन बाला साहू	मा.शा. माहुद	कांकेर
5	180	श्रीमती रूतबातार	मा.शा. माखनपुर	बिलासपुर
6	195	श्री महेश कुमार जैन	मा.शा. हल्बा	कांकेर
7	227	श्रीमती माधुरी राजपूत	प्रा.शा.आवासपारा खैरवाही	कांकेर
8	250	श्री इरमान एक्का	प्राशा कपियाभौना	रायगढ़
9	272	श्रीमती रेणु श्रीवास्तव	धरमपुरा नं. 1 ग्रामीण	बस्तर
10	290	श्रीमती रेखा सिंह	शा.पू.मा.शा.भूपदेवपुर	रायगढ़
11	291	श्रीमती भगवती ठाकुर	मा0शा0 हरिजन कॉलोनी	बस्तर
12	306	श्रीमती ललिता यादव	प्रा.शा. लिमउडीह	दुर्ग
13	337	श्री हरिशलोचन सिंह ठाकुर	मा0शा0कुडाल	कांकेर

शर्त:-

1. पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शास्ति की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
2. पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फ़ैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 23 अटल नगर दिनांक 24/07/2025

—:आदेश:—

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-संस्कृत

स.क्र.	वरि.क्र.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	336	श्रीमती पुष्पलता जैन	मा.शा. माटवाड़ालाल	कांकेर
2	338	श्रीमती नंदा अटमैया	मा.शा. माहुरबंदपारा	कांकेर
3	372	श्रीमती सरोज साव	पोस्ट मै.कन्या छात्रावास पिथौरा	महासमुंद

शर्त:-

1. पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शारिर्त की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
2. पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
4. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 द्वारा श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।
5. जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर हो चुकी है और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्हें व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। ऐसे में उन्हें पदस्थापना हेतु न कार्य मुक्त करें और न ही कार्यभार ग्रहण करावें।



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 238 अटल नगर दिनांक 22/07/2025

—आदेश—

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रुपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-गणित

स.क्र.	वरि.क्र.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	237	श्री गौतम प्रसाद यादव	प्रा.शा. छाल	जशपुर

शर्त:-

- पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शास्ति की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 द्वारा श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।
- जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर हो चुकी है और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्हें व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। ऐसे में उन्हें पदस्थापना हेतु न कार्य मुक्त करें और न ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की वरिष्ठता पदोन्नति आदेश दिनांक से मान्य की जावेगी।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 234 अटल नगर दिनांक 22/07/2025

—:आदेश:-

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-अंग्रेजी

स.क.	वरि.क.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	155	श्रीमती कंचन बाला साहू	मा.शा. माहुद	कांकेर
2	239	श्री मारकुस डुंगडुंग	प्रा.शा. कदमढोडी	रायगढ़
3	372	श्रीमती सरोज साव	पोस्ट मे.कन्या छात्रावास पिथौरा	महासमुंद

शर्त:-

- पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शारित की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh, एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 द्वारा श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।
- जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर हो चुकी है और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्हें व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। ऐसे में उन्हें पदस्थापना हेतु न कार्य मुक्त करें और न ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की वरिष्ठता पदोन्नति आदेश दिनांक से मान्य की जावेगी।



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 234 अटल नगर दिनांक 22/07/2025

—:आदेश:-

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-अंग्रेजी

स.क.	वरि.क.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	155	श्रीमती कंचन बाला साहू	मा.शा. माहुद	कांकेर
2	239	श्री मारकुस डुंगडुंग	प्रा.शा. कदमढोडी	रायगढ़
3	372	श्रीमती सरोज साव	पोस्ट मे.कन्या छात्रावास पिथौरा	महासमुंद

शर्त:-

- पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शारित की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh, एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 द्वारा श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।
- जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर हो चुकी है और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्हें व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। ऐसे में उन्हें पदस्थापना हेतु न कार्य मुक्त करें और न ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की वरिष्ठता पदोन्नति आदेश दिनांक से मान्य की जावेगी।



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर)

(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क./स्था.2/टी संवर्ग/व्या.पदो./13(1)/2025 234 अटल नगर दिनांक 22/07/2025

—:आदेश:-

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 में निहित प्रावधान के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/- को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्याख्याता टी संवर्ग वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/- वेतन मेट्रिक्स लेवल-09 में पदोन्नत किया जाता है:-

विषय:-अंग्रेजी

स.क.	वरि.क.	कर्मचारी का नाम	संस्था का नाम	गृह जिला
1	155	श्रीमती कंचन बाला साहू	मा.शा. माहुद	कांकेर
2	239	श्री मारकुस डुंगडुंग	प्रा.शा. कदमढोडी	रायगढ़
3	372	श्रीमती सरोज साव	पोस्ट मे.कन्या छात्रावास पिथौरा	महासमुंद

शर्त:-

- पदोन्नत शिक्षक/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (बी.एड. प्रशिक्षित स्नातकोत्तर) टी संवर्ग के विरुद्ध विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण लंबित हो अथवा विभागीय जांच में दी गई शारित की अवधि शेष हो तो उन्हें पदोन्नत नहीं माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल संचालनालय लोक शिक्षण को भेजेंगे।
- पदोन्नत कर्मचारी द्वारा स्नातकोत्तर परीक्षा (जिस विषय में पदोन्नति दी गई है) उत्तीर्ण होने एवं बी.एड. प्रशिक्षित होने पर ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ20-2/2019/1-3 दिनांक 17.02.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh , एवं W.P.(PIL) No. 91/2019 में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 में दिये गये निर्देशों के पालन में की जा रही है।
- माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 2358/2024 द्वारा श्रवण कुमार प्रधान एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की गई है।
- जिन शिक्षकों की पदोन्नति प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर हो चुकी है और पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है उन्हें व्याख्याता पद पर पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी। ऐसे में उन्हें पदस्थापना हेतु न कार्य मुक्त करें और न ही कार्यभार ग्रहण करावें।
- पदोन्नत व्याख्याताओं की वरिष्ठता पदोन्नति आदेश दिनांक से मान्य की जावेगी।